न्यायालय, अपर जिला जज, कोर्ट संख्या–03, बिजनौर।
पीठासीन अधिकारीः– प्रशान्त मित्तल, उच्चतर न्यायिक सेवा. UP06174
लघुवाद सं0–09/2020

अनुपम विजय गुप्ता उर्फ अनुपम विजय बनाम मौ0 नासिर उर्फ नासिर अहमद

01–05–2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थनापत्र ग–80 पर पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

प्रार्थनापत्र ग–80 प्रतिवादी की ओर से इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद की पत्रावली की तैयारी करते समय यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उक्त वाद में प्रतिवादी द्वारा जो प्रार्थनापत्र ग–67 प्रस्तुत किया गया है, उक्त प्रार्थनापत्र में आलरेडी उल्लेखित तथ्यो के अलावा दावा वादी के कथनानुसार किराये पर दी गई सम्पत्ति के अलावा कथित तौर से अन्य सम्पत्ति जिसे वादी किराये पर देना उल्लेखित नहीं करता है, में कथित तौर से अतिक्रमण की बाबत भी योजित किया गया है जिसकी बाबत कानूनन लघुवाद में दावा दायर नहीं किया जा सकता है। उक्त महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य जो आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के प्रार्थनापत्र में जो पूर्व में प्रस्तुत किया गया था, लिखाये जाने से रह गया है जिसकी बाबत प्रार्थनापत्र ग–67 में संशोधन करने की अनुमति न्यायहित में दिया जाना आवश्यक है। इन तथ्यो के आधार पर प्रार्थनापत्र ग–67 में संशोधन किए जाने की याचना की गई है। उक्त प्रार्थनापत्र के समर्थन में ग–81 शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त प्रार्थनापत्र पर वादी की ओर से आपत्ति ग–82 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थनापत्र गलत एवं असत्य कथनो के साथ विधि एवं नियम विरूद्व तरीके से गुजारा गया है। प्रार्थनापत्र संशोधन से प्रार्थनापत्र ग–67 की प्रकृति परिवर्तित होती है। वादी ने अपने वादपत्र में किसी अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में कोई वाद योजित नहीं किया है, बल्कि प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा अपनी दुकान के अस्थायी लकडी/एल्युमिनियम/लोहे के काउन्टर को कुल रमेश सुपर बाजार वादी के ग्राहको आदि के आवा गमन के रास्ते को तंग करने के कारण उसकी क्षति पूर्ति धनवाद के रूप मे अन्य अनुतोषो के साथ चाही गई है और प्रतिवादीगण को प्रार्थनापत्र ग–67 में इस संबंध में कोई भी संशोधन कराने का अधिकार नहीं है। प्रस्तावित संशोधन अत्यधिक लम्बा एवं अनावश्यक है जिसको संशोधन करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। प्रतिवादीगण ने आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का प्रार्थनापत्र ग–67 लगभग 1 वर्ष 4 माह पूर्व प्रस्तुत किया था और अब इतने विलम्ब से उक्त प्रार्थनापत्र में संशोधन कराने की याचना की है जो दुर्भावना से ग्रसित होना स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। धनवाद, जो प्रश्नगत दुकान के काउन्टर व प्रश्नगत दुकान से संबंधित आवागमन के रास्ते के संबंध में है, उक्त संबंध में क्षतिपूर्ति के रूप में धनवाद के अनुतोष को चाहने का पूर्ण अधिकार वादी को है और इस संबंध में संशोधन कराने की कोई अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती। प्रार्थनापत्र संशोधन प्रार्थनापत्र ग–67 के पूर्व कथनो के विपरीत है। प्रार्थनापत्र संशोधन प्रार्थनापत्र ग–67 के पूर्व कथनो से विपरीत है जिसे प्रतिवादी मौन स्वीकृति को समाप्त कराना चाहता है। इन तथ्यो के आधार पर प्रार्थनापत्र प्रतिवादी निरस्त किए जाने की याचना की गई है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रतिवादी द्वारा यह प्रार्थनापत्र, प्रार्थनापत्र ग–67 अर्न्तगत आदेश 7 नियम 10 व 11 दं0प्र0सं0 में संशोधन किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी प्रार्थनापत्र के माध्यम से जिन तथ्यो को प्रार्थनापत्र ग–67 में समावेशित कराना चाहता है, उससे प्रार्थनापत्र ग–67 आदेश

7 नियम 10 व 11 सी0पी0सी0 की प्रकृति परिवर्तित नहीं होती है। वॉछित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। जहॉ तक वादी का यह तर्क है कि प्रतिवादी द्वारा वॉछित संशोधन प्रार्थनापत्र देरी से प्रस्तुत किया गया है, तो इस संबंध में प्रतिवादी पर हर्जा अधिरोपित करके वादी की देरी की प्रतिपूर्ति करायी जा सकती है। उपरोक्त परिस्थितियो में मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र ग–80 हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र ग–80 अंकन 500/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी प्रार्थनापत्र ग–67 में वॉछित संशोधन अन्दर 03 दिन करे तथा हर्जा नियत दिनॉक से पूर्व अदा किया जाए। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनॉक 06.05.2025 को पेश हो।

दिनांकः 01–05–2025

(प्रशांत मित्तल)
अपर जिला जज
कोर्ट सं0–03, बिजनौर।

Digitally signed by PRASHANT MITTAL
Date: 2025.05.01 15:46:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court